भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी० ए० मिस वाद सं० 24B/2017-18

शिवचरण महतो बनाम गुरुचरण महतो

पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति

09.10.2017

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, राजनगर के पत्रांक 429 दिनांक 16.06.17 के द्वारा टी० ए० मिस वाद सं० 24 B/2017–18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता शिवचरण महतो पिता–स्व० वामदेव महतो ग्राम–राजनगर थाना–राजनगर, जिला–सरायकेला–खरसावाँ ने चिकित्सा हेतु क्रेता गुरुचरण महतो पिता–स्व० पूर्ण चन्द्र महतो, ग्राम–कुसनुपुर, थाना–राजनगर, जिला–सरायकेला–खरसावॉ को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
राजनगर	151	111	409	0.21 एकड़

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के पिता वामदेव महतो एवं अन्य नाम से हाल सर्वे खतियान में दर्ज है। विक्रेता अपने पिता के मृत्यु उपरांत अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहते है। आवेदक के हिस्से में 2.98 एकड़ जमीन है, जिसमें से 0.21 एकड़ भूमि बिक्री करने के पश्चात् 2.77 एकड़ भूमि बचती है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना एवं जिला के निवासी है तथा जाति 'कुर्मी', जो अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.21 एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तद्नुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।